

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सरजात काशीराम आदि

दावा बाबत :- 8887/11/21

मुकदमा नम्बर :- 153/2021

निर्णय दिनांक :- 7-12-2021

वादी की ओर से वकील मुन्शीराम लोखन्ना की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील सरजात काशीराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मोजा घेऊ के खाता सं० 38/3 के खसरा सं० 383/3 की पं० 54 है, खसरा सं० 500/4 की पं० 54 है, खसरा सं० 652/2 की पं० 54 है, खसरा सं० 769/590 की पं० 54 है, कुल पं० 54 है वाराना खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० काशीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रतिवादी सं० काशीराम के बाजार वादी सरजात, प्रतिवादी सं० काशीराम, प्रतिवादी सं० 2 वलवार प्रतिवादी सं० 3 महेन्द्र कुमार को वधिस्वा वरावर के खातेदार काठार वधिस्वा किराये पर है, कृषि प्रतिवादी सं० 4 व 5 ने अपना समूचा एक वधिस्वा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में हस्तांतरण कर मुद्रा कर लिया है इसलिए त्याग किराये पर वधिस्वा पर निहित किराये का दायें पंजीयन मुद्रा किया करने व यदि कृषि भूमि का एक एक खाता है तो खसरा सं० के इतराती से राजस्व रिकार्ड में अपना वरायत किराये जायें वरायत का डिक्री का कागज पठा जायें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा प्रशासन गांव के संग-2021 कैम्प